



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072026-274731
CG-DL-E-23072026-274731

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2026/आषाढ 30, 1948

No. 588]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2026/ASHADHA 30, 1948

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 647(अ).— वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2025 को संशोधन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 34 के अधीन यथा अपेक्षित, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले, जिस तारीख को उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) तारीख 17 फरवरी, 2026 के द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां 19 फरवरी, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आपत्तियां या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अब, भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 11, धारा 12, धारा 19, धारा 25 की उप-धारा (4), धारा 30 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2025 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:-

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) (संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. प्रस्तावना के चौथे पैरा में, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों, के बाद, “और वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2017 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है”, शब्द, कोष्ठक और अंक को अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 1245/201/2025-डी जी अनुभाग-एमओसीए]

प्रियंका दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में तारीख 7 नवंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 829(अ), तारीख 10 नवंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2026

G.S.R. 647(E).— Whereas, the following draft of certain rules further to amend the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2025, were published, as required by section 34 of the said Act, vide number G.S.R. 136 (E), dated the 17th February, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, PartII, Section3, Sub-Section (i), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of fifteen days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 19th February, 2026.

And whereas, no objections or suggestions have been received from the public in respect of draft rules within the period specified;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 11, 12, 19, Sub-section (4) of section 25, sections 30 and 33 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2025; namely:-

Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the fourth paragraph of the preamble, after the words, figures and brackets, the words, brackets and figures “and in supersession of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession”, shall be inserted.

[F. No. 1245/201/2025-DGSection-MOCA]

PRIYANKA DAS, Jt. Secy.

NOTE:- The principal rules were published on the 10th November, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 829(E), dated the 7th November, 2025.